



संख्या- 4413 / जी0एस0(शिक्षा) / A4-185(On Line) / 2024

प्रेषक,

रीना जोशी  
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2026

महोदया,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 231214112220 तथा प्रस्ताव क्रमांक 240830012502 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता/विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
रूड़की बिजनेस स्कूल ऑफ फार्मैसी, ग्रा०-प्रहलादपुर, हरिद्वार।	बी०फार्मा०	60	2023-24 (नवीन अस्थाई सम्बद्धता) 2024-25 (अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण)

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव में प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 2260/2025 में दिनांक 30.07.2025 को पारित अंतरिम राहत के क्रम में दिया जा रहा है। इस क्रम में विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह संस्थान से प्राभूति राशि के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्थान को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।

(2) प्रस्ताव में भवन विवरण के अन्तर्गत केन्द्रीय उपकरण कक्ष, संकाय कक्ष का उल्लेख नहीं है तथा बहुउद्देशीय कक्ष 100 वर्गमीटर का है, जो कि मानकानुसार 250-300

सीट क्षमता का होना आवश्यक है तथा निरीक्षण आख्या के अनुसार कतिपय ढांचागत संसाधन निर्धारित माप से न्यून हैं। इस क्रम में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि संस्थान का इससे अग्रेत्तर शैक्षिक सत्र की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व संस्थान में सभी ढांचागत संसाधन निर्धारित माप के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे और तदनुसार राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत कराया जाये।

(3) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Digitally signed by <sup>भद्रदीया,</sup>

REENA JOSHI

Date: 24-02-2026

12:53:28 (रीना जोशी)

कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या- 443 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A4-185(On Line)/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गाई फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by

Shri Laxman Ram Arya

Date: 24-02-2026

13:20:34 (लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के उपसचिव।